सं0–7/सामुदायिक–09–01/2018– 47(7)6

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक : 11-10-2018

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें– एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0001–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–विपत्र कोड–20-221003110001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹31,69,84,059/–(एकतीस करोड़ उनहत्तर लाख चौरासी हजार उनसठ रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–18(7)ब दिनांक–14.06.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹31,69,84,059/–(एकतीस करोड़ उनहत्तर लाख चौरासी हजार उनसठ रूपये) मात्र अतिरिक्त आवंटन दी जाती है । (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें– एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0001–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–विपत्र कोड– 20–2210031100001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा ।

4. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संबंधित रेफरल अस्पताल/प्रा0स्वा0केन्द्र में कार्यरत बल के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 के वेतन भत्ता तथा अन्य मद के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उरप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

5. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

6. आहार/पथ्य, मशीने एवं उपस्कर, सामग्री एवं पूर्त्तियाँ, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

11. संविदा सेवाएँ (28–02) तथा व्यवसायिक/ कला/ तकनीकी सेवाएँ (28–04) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे ।

12. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

13. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

14. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

15. सामग्री एवं पूर्तियॉ मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है ।

16. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

17. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

10/10/18

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 49 (7) 6 पटना, दिनांक : 11-10-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी /सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/ सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी–7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

10/10/18

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2018–2019 में बिहार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन (विपत्र कोड–20–221003110001)

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव (13–02)	दूरभाष (13–03)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी/पोषाक (13–06)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	आहार/पथ्य (21–03)	संविदा सेवाएँ (28–02)	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (28–04)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	पटना	8000000	880000	1200000	160000	400000	10640000	0	10000	10000	0	0	150000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10820000	6061/24.8.18
2	भोजपुर	6000000	660000	900000	120000	300000	7980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000000	0	0	6000000	800000	20780000	3552/11.9.18
3	रोहतास	2500000	275000	375000	50000	125000	3325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3325000	
4	गोपालगंज	8000000	880000	1200000	160000	400000	10640000	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	500000	0	500000	0	0	12140000	1754/7.8.18
5	सुपौल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	5000000	0	0	0	100000	5300000	1333/15.9.18
6	कटिहार.	2500000	275000	375000	50000	125000	3325000	0	0	10000	0	0	0	20000	0	100000	6000000	0	0	1800000	200000	11455000	2347/28.9.18
7	पूर्णिया	2000000	220000	300000	40000	100000	2660000	334059	0	0	0	0	0	0	0	0	9000000	0	0	0	0	11994059	2483/13.9.18, 2115/10.8.18
8	मधुबनी	8000000	880000	1200000	160000	400000	10640000	50000	10000	10000	0	0	432000	93000	5000	200000	1000000	500000	4000000	5000000	200000	22140000	1904/30.7.18
9	दरभंगा	7000000	770000	1050000	140000	350000	9310000	0	0	10000	0	0	0	140000	0	0	0	0	6000000	3000000	0	18460000	1442/11.8.18
10	सारण	7000000	770000	1050000	140000	350000	9310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9310000	2766/29.9.18
11	सीतामढ़ी	5500000	605000	825000	110000	275000	7315000	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	8335000	2406/28.8.18
12	समस्तीपुर	6500000	715000	975000	130000	325000	8645000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8645000	1952/22.9.18
13	जहानाबाद	16000000	1760000	2400000	320000	800000	21280000	0	0	10000	0	20000	200000	0	10000	80000	4000000	50000	1000000	2000000	0	28650000	1976/12.9.18
14	कैमूर	2500000	275000	375000	50000	125000	3325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3325000	
15	जमुई	7000000	770000	1050000	140000	350000	9310000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9320000	1614/30.8.18
16	शिवहर	2000000	220000	300000	40000	100000	2660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2660000	
17	किशनगंज	2500000	275000	375000	50000	125000	3325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3325000	
18	बेतिया,प.च.	2500000	275000	375000	50000	125000	3325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3325000	
19	गया	4000000	440000	600000	80000	200000	5320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5320000	
20	सीवान	7000000	770000	1050000	140000	350000	9310000	0	3000	5000	0	0	0	8000	5000	100000	500000	0	1000000	3500000	500000	14931000	14/4.9.18
21	बेगुसराय	2500000	275000	375000	50000	125000	3325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3325000	
22	शेखपुरा	4000000	440000	600000	80000	200000	5320000	0	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	5324000	1267/22.9.18
23	मधेपुरा	2000000	220000	300000	40000	100000	2660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2660000	
24	मुजफ्फरपुर	6000000	660000	900000	120000	300000	7980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	1000000	0	10980000	2792/28.8.18

49(7)ए
11-10-18

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन मत्ता (01–03)	मकान मत्ता (01–04)	चिकित्सा मत्ता (01–06)	अन्य मत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव (13–02)	दूरमाष (13–03)	विद्युत प्रमार (13–04)	विधि प्रमार (13–05)	वर्दी/पोषाक (13–06)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा मंडार (21–02)	आहार/पथ्य (21–03)	संविदा सेवाएँ (28–02)	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (28–04)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	मोतिहारी	5000000	550000	750000	100000	250000	6650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6650000	
26	वैशाली	7000000	770000	1050000	140000	350000	9310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	1000000	0	11010000	1314/21.7.18
27	लखीसराय	300000	33000	45000	6000	15000	399000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399000	1428/7.9.18
28	नवादा	4000000	440000	600000	80000	200000	5320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5320000	
29	नालन्दा	7000000	770000	1050000	140000	350000	9310000	0	10000	10000	20000	40000	800000	10000	10000	0	0	0	1000000	1000000	0	12210000	3062/19.9.18
30	औरंगाबाद	7000000	770000	1050000	140000	350000	9310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9310000	1798/11.9.18
31	भागलपुर	4000000	440000	600000	80000	200000	5320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5320000	3430/10.9.18
32	बाँका	9000000	990000	1350000	180000	450000	11970000	0	10000	10000	0	0	0	0	10000	500000	3000000	0	0	0	500000	16000000	1791/24.8.18
33	खगड़िया	2000000	220000	300000	40000	100000	2660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2660000	
34	सहरसा	2000000	220000	300000	40000	100000	2660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2660000	
35	अररिया	1200000	132000	180000	24000	60000	1596000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	6000000	0	9596000	2666/17.9.18
	कुल	**169500000**	**18645000**	**25425000**	**3390000**	**8475000**	**225435000**	**384059**	**53000**	**95000**	**20000**	**60000**	**2082000**	**275000**	**50000**	**1180000**	**35000000**	**550000**	**18200000**	**31300000**	**2300000**	**316984059**	

(एकतीस करोड़ उनहत्तर लाख चौरासी हजार उनसठ) रू0 मात्र

49(7)6

11-10-18

10/10/18

सरकार के विशेष सचिव

D:\B:d 2018-19 Allot\kamal\Referal 18 19 1Ref

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001–01–01)	540000000	279000000	169500000	448500000	91500000
2	जीवन यापन भत्ता (0001–01–03)	60000000	30690000	18645000	49335000	10665000
3	मकान किराया भत्ता (0001–01–04)	88420000	41850000	25425000	67275000	21145000
4	चिकित्सा भत्ता (0001–01–06)	15500000	5580000	3390000	8970000	6530000
5	अन्य भत्ता (0001–01–07)	27700000	13950000	8475000	22425000	5275000
6	त्यौहार अग्रिम (0001–01–08)	1000000	0	0	0	1000000
	योग 20-2210.03.110.0001.01 वेतन	**732620000**	**371070000**	**225435000**	**596505000**	**136115000**
6	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001–06–01)	1000000	0	384059	384059	615941
7	यात्रा व्यय (0001–11–01)	200000	102000	53000	155000	45000
8	कार्यालय व्यय (0001–13–01)	750000	374000	95000	469000	281000
9	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (0001–13–02)	1000000	476000	20000	496000	504000
10	दूरभाष (0001–13–03)	3000000	1360000	60000	1420000	1580000
11	विद्युत प्रभार (0001–13–04)	12000000	9352000	2082000	11434000	566000
12	विधि प्रभार (0001–13–05)	1000000	238000	275000	513000	487000
13	वर्दी / पोषाक (0001–13–06)	593000	306000	50000	356000	237000
14	प्रशिक्षण व्यय (0001–20–03)	11212000	0	0	0	11212000
15	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001–21–01)	29800000	14640000	1180000	15820000	13980000
16	दवा भंडार (0001–21–02)	150000000	64850000	35000000	99850000	50150000
17	आहार / पथ्य (0001–21–03)	40000000	19060000	550000	19610000	20390000
18	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001–27–02)	1000	0	0	0	1000
19	संविदा सेवाएँ (0001–28–02)	100000000	47425000	18200000	65625000	34375000
20	व्यवसायिक / कला / तकनीकी सेवाएँ (0001–28–02)	100000000	50675000	31300000	81975000	18025000
20	मशीने एवं उपस्कर (0001–52–01)	10000000	4735000	2300000	7035000	2965000
	कुल योगः–	**1193176000**	**584663000**	**316984059**	**901647059**	**291528941**

49(7)6
11-10-18

10/10/18

सरकार के विशेष सचिव